संख्या-108/2016-16/नौ-5-16-40बजट/2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में चित्रकूट के लिए पुनर्गठन पेयजल योजना के सम्बन्ध में पंचम किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-206/नागर-2/033-410, दिनांक-28.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट के लिए पुनर्गठन पेयजल योजना सम्बन्धी कार्यों हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 2035.13 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-580/नौ-5-2009-49बजट/2008, दिनांक-29.05.2009 द्वारा रू0 276.52 लाख एवं शासनादेश संख्या-5484/नौ-15-2010-49बजट/2008, दिनांक-23.12.2010 द्वारा रू0 977.05 लाख, तथा शासनादेश संख्या-2314/नौ-5-2014-40बजट/2013, दिनांक-28.11.2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 105.43 लाख तथा शासनादेश संख्या-273 /2016-16/नौ-5-16-40बजट/2013 दिनांक 06.08.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 300.00 लाख अर्थात् कुल रू0 1659.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2035.13 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि मे से रू0 274.37 लाख (रू0 दो करोड चौहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) को पंचम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) संदर्भित कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-580/नौ-5-2009-49बजट/2008, दिनांक-29.05.2009, शासनादेश संख्या-5484/नौ-15-2010-49बजट/2008, दिनांक-23.12.2010 एवं शासनादेश संख्या-2314/नौ-5-2014-40बजट/2013, दिनांक-28.11.2014 द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा। अवशेष धनराशि परियोजना के पूर्ण होने तथा कम्पलीशन सर्टीफिकेट उपलब्ध कराने के उपरांत अवमुक्त की जा सकेगी।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

-2/

go finance mangal font

(8) कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो को किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 108 /2016-16(1)/नौ-5-16-40बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/चित्रकूट।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (झाँसी क्षे0), 30प्र0 जल निगम, झाँसी ।
9- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, 30प्र0 जल निगम, चित्रकूट।
10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चित्रकूट ।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-28/04/2016

प्रेषण संख्या:- 108

आवंटन आदेश संख्या:- 001-108-2016-16-9-5-16-40B-2013

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	27437000	27437000
		प्रगामी	335584000	335584000
	योग	वर्तमान	27437000	27437000
		प्रगामी	335584000	335584000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौहत्तर लाख सैंतीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तैंतीस करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी